कार्यालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांकः– 4309 दिनांकः– 30-10-23

कार्यालय आदेश

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर के पत्र क्रमांक : स्था. /2023/35449 दिनांक 30.10.2023 के द्वारा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3599 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा माढण थाने में दर्ज वारंट मुकदमों का क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमराना को आवंटित किया गया था । उक्त आदेश माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के उक्त आदेश द्वारा निररस्त किया गया है।

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर के पत्र क्रमांक : स्था. /2023/35472 दिनांक 30.10.2023 की अनुपालना में पुलिस थाना माढ़ण व पुलिस थाना शाहजहॉपुर के क्षेत्राधिकार में उद्‌भूत होने वाले वारण्ट प्रकरणों की सुनवाई (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं ए0सी0जे0एम0 न्यायालय की विशेष अधिकारिता को छोडकर) संबंधित फौजदारी प्रकरण वन अधिनियम, आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण हेतु क्षेत्राधिकार द0प्र0सं0 की धारा 14 (1) व 15 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर इस कार्यालय के द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश में शाहजहॉपुर थाने का कार्य क्षेत्राधिकार में आंशिक संशोधन करते हुए न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमराना एवं माढ़ण थाने में उद्‌भूत होने वाले वारंट प्रकरणों का निस्तारण हेतु न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, बहरोड को क्षेत्राधिकार आवंटित करता हूँ।

इस कार्यालय के शेष आदेश क्रमांक 1241 दिनांक 09.04.2021 व क्रमांक 2460 दिनांक 10.08.2021 यथावत रहेगें।

उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा ।

भवदीय

Sd/-

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अलवर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)

क्रमांक :– 4310-4319 दिनांक :– 30-10-23

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है–

1. माननीय जिला एवम सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर
2. जिला कलक्टर, अलवर
3. संबंधित न्यायालय.......................
4. जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाडी
5. संबंधित पुलिस थाना.......................
6. संबंधित बार एसोसियेशन ....
7. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेश को साईट पर अपलोड कर समस्त न्यायालय, अलवर न्यायक्षेत्र को ई–मेल करें)
8. कार्यालय प्रति अध्यक्ष,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अलवर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)